

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.)

फोन नं 0731-2554666 ई-मेल indorc@mpitownplan.gov.in

/INDLP-6601/नगानि/2022

इन्दौर, दिनांक

क्र./
प्रति,

उपायुक्त, कॉलोनी सेल,
नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

विषय : ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 453/1, 454/19/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 455/1/4, 452/4, 452/5, 452/3/3/1, 454/3/1 कुल रकबा 2.358 हैक्टर भूमि पर आवासीय मल्टीफ्लेटेड युनिट उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 1205/कॉलोनी सेल/S.W./20 दिनांक 04/03/2020.

(परियोजना का नाम:-"CLIFFTON")

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक- ज्ञानशीला डेव्हलपर्स लिमि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रथम पिता श्री अतुल, 2. विद्युत पिता श्री ज्ञानचंद मित्तल, 3. श्रीमती सुशीलारानी पति श्री ज्ञानचंद मित्तल, 4. कुलभूषण पिता श्री ज्ञानचंद मित्तल, 5. श्रीमती मनीषा पति श्री अतुल गर्ग, 6. रितु पिता श्री अतुल गर्ग, पता- 6. ज्ञान पार्क, टेलिफोन नगर, इन्दौर (म.प्र.) को ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 453/1, 454/19/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 455/1/4, 452/4, 452/5, 452/3/3/1, 454/3/1 कुल रकबा 2.358 हैक्टर भूमि पर आवासीय मल्टीफ्लेटेड युनिट उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रकरण नगर पालिक निगम के माध्यम से आवेदक का मूलतः आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
2. आवेदन शुल्क रुपये 15,000/-ऑनलाईन चालान क्रमांक (सी.आर.सी.) MPT0217151120190000068, दिनांक 15/11/2019 एवं अनुज्ञा शुल्क ऑनलाईन चालान क्र. (सी.आर.एन.) MPT0217190120220000058, दिनांक 19/01/2022 द्वारा राशि रुपये 1,77,000/- द्वारा जमा। इस प्रकार कुल रुपये 1,92,000/- जमा।
3. पटवारी नक्शा, खसरा वी-1, पी-2 वर्ष 2019-2020।
4. सीमांकन रिपोर्ट, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति पत्र, मानचित्र।

आवेदक की स्थल निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनकी उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया है। विषयांकित भूमि वर्तमान में रिक्त भूमि है। विषयांकित भूमि को उत्तर दिशा में स्थित वर्तमान मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि का इंदौर विकास योजना-2021 में भूमि उपयोग प्रस्तावित आवासीय एवं मार्ग उपयोग हेतु निर्दिष्ट है। इन्दौर विकास योजना की सारणी क्रमांक 6.22 के स. क्र. 04 में आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय मल्टीफ्लेटेड युनिट उपयोग स्वीकार्य गतिविधि है।

मुख्य नगर नियोजक, इंदौर विकास अधिकारण, इंदौर के पत्र क्रमांक 2119/रुपांकन/IDA/2020 दिनांक 17/06/2020 द्वारा विषयांकित भूमि ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 453/1, 454/19/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 455/1/4, 452/4, 452/3/3/1, 454/3/1 कुल रकबा 2.358 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्राधिकारी की योजना में समाविष्ट नहीं है।

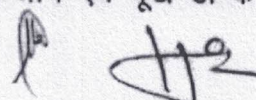
अविरत...2

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संयोगितागंज, जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक 67/रीएसडीओ/NOC/17 इन्दौर, दिनांक 30/03/2017 द्वारा ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 452/3/3/1, 453/1, 454/19/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7 कुल रकबा 1.997 हैक्टर भूमि के संबंध में सशर्त नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3274-3275 दिनांक 31.08.2020 एवं 2824-2825 दिनांक 30.07.2020 द्वारा प्रकरण में नजूल अनापत्ति प्राप्त करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसील व जिला इन्दौर को पत्र जारी किया गया था। जिससे 30 दिवस के उपरान्त नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय में अप्राप्त है। म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 20/09/2019 में हुए संशोधन अनुसार नजूल अधिकारी 30 दिवस की अवधि में नजूल अनापत्ति पत्र जारी नहीं किया गया, तो यह मानते हुए कि नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दी गई है, प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई है।

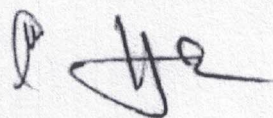
उपरोक्त दस्तावेजों एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों, क्षतिपूर्ति पत्र एवं स्वामित्व दस्तावेजों तथा म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 15/04/2016 में हुए संशोधन के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के प्रावधानों के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए ग्राम मूसाखेडी, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 453/1, 454/19/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 455/1/4, 452/4, 452/5, 452/3/3/1, 454/3/1 कुल रकबा 2.358 हैक्टर भूमि पर आवासीय मल्टीप्लेटेड युनिट उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
 अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.
 ब. म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021
 स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
2. प्रश्नाधीन भूमि पर "आवासीय मल्टीड्वेलिंग युनिट (30.0 मीटर उचाई तक)" उपयोग हेतु नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे-
 अ- ग्राउण्ड कवरेज- 30.0 प्रतिशत अधिकतम।
 ब- एफ.ए.आर.- 1:2.0 अधिकतम।
 स- भवन की ऊँचाई- 30.0 मीटर अधिकतम।
 द- एम.ओ.एस./पार्किंग- संलग्न मानचित्र अनुसार।
 इ- ओपन एरिया-10.0 प्रतिशत एवं सर्विस एरिया- 1.0 प्रतिशत।
3. प्रश्नाधीन भूमि पर "आवासीय मल्टीड्वेलिंग युनिट (12.0 मीटर उचाई तक)" उपयोग हेतु नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे-
 अ- ग्राउण्ड कवरेज- 30.0 प्रतिशत अधिकतम।
 ब- एफ.ए.आर.- 1:1.25 अधिकतम।
 स- भवन की ऊँचाई- 12.0 मीटर अधिकतम।
 द- एम.ओ.एस./पार्किंग- संलग्न मानचित्र अनुसार।
 इ- ओपन एरिया-10.0 प्रतिशत एवं सर्विस एरिया- 1.0 प्रतिशत।
4. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।



5. विषयांकित भूमि के उत्तर से इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 15.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित छोड़ना आवश्यक होगा तथा विषयांकित भूमि के दक्षिण दिशा में समन्वय मार्ग की चौड़ाई 18.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 9.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित छोड़ना आवश्यक होगा तथा विषयांकित भूमि के पूर्व दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 9.0 मीटर प्रस्तावित रखते हुए मार्ग मध्य से 4.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित छोड़ना आवश्यक होगा। जिस पर कोई अतिक्रमण मान्य नहीं होगा।
6. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।
7. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
8. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 प्रभावशील है। आवेदक द्वारा शपथ पत्र क्रमांक 8692/2020 दिनांक 25/02/2020 प्रस्तुत किया गया है, जिसके बिन्दू क. 03 अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिए युनिटों का प्रस्ताव चुना है। नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ किया जावेगा। आवेदक द्वारा चयनित विकल्प को मान्य करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का है। इस संबंध में उपरोक्त प्रावधान सुनिश्चित करते हुए विकास अनुमति/भवन निर्माण की अनुमति प्रदाय की जावे। उक्त नियमों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिका निगम, इन्दौर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिये किये गये प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य किये जाने पर ही लागू होंगे। यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों से सहमत न हो तो उनके बताये अनुसार अभिन्यास में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।
10. यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामी से म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अन्तर्गत कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत विकासकर्ता से पंजीकृत विकास अनुबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावे।
12. प्रश्नाधीन भूमि पर विकसित होने वाले आवासीय ईकाईयों के विक्रय के सम्बंधी इशतहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायो, डायवर्सन, नजूल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छूट, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति सम्बन्धी आदेशों के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
14. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख-रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
15. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख-रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।

16. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत पटवारी अक्स/बटांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
18. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दि. 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दि. 01/09/2009 की अनुसूची की कंडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल, दि. 14, अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा **Environment Impact Assessment Authority** से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्चायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
19. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के प्रावधानों अनुसार विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी छोड़ने के पश्चात् निर्माण कार्य करना आवश्यक होगा।
20. मार्ग विस्तार के अन्तर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजा के इन्दौर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की क्रियान्वयन संस्था को सौंपना होगा। इसके विरुद्ध आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 फुटनोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की पात्रता होगी।
21. इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक की आवेदक भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अन्तर्गत समस्त अनुमतियाँ प्राप्त नहीं कर लेता।
22. फायनैस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
23. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) के प्रावधानों अनुसार नाले के उच्चतम जल स्तर सीमा से 9.0 मीटर और नदी के मामले में 30.0 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित होगा।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
25. विषयांकित भूमि पर शासन के आदेश अनुसार आवेदक द्वारा चयनित परियोजना का नाम **"CLIFFTON"** के आधार पर जारी की जा रही है।

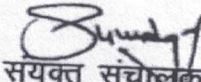


26. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार (BLOCK-A) भवन की ऊँचाई 30.0 मीटर प्रस्तावित की गई है। अतः निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के पश्चात् ही भवन अनुज्ञा जारी की जावे:-

1. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाये।
2. बेसमेंट में जाने हेतु रेम्प का निर्माण फायर ब्रिगेड हेतु आरक्षित मूवमेंट स्पेस में नहीं किया जावेगा।
3. आवेदक द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार निःशक्तजनों हेतु समूचित व्यवस्था करनी होगी।
4. आवेदक को परिसर के अन्दर तथा आस-पास सरफेस वाटर के निकास हेतु समूचित व्यवस्था करनी होगी।
5. प्रत्येक तल पर पृथक-पृथक प्रकार के कचरे रखने के स्थान आरक्षित रखते हुए भू-तल पर एक पृथक-पृथक कचरा घर बड़े रूप में ऐसे स्थान पर बनाने होंगे कि, स्थानीय संस्था का वाहन द्वारा आसानी से कचरा उठाया जा सके एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली अपनायी होगी।
6. भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुँच मार्ग 6 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और व मोटर के आने-जाने योग्य होना आवश्यक होगा।
7. दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुँच अनुज्ञात करने के लिए भूखण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो। फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में बाहरी पहुँच मार्ग निर्बाध हो यदि मुख्य प्रवेश द्वारा अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर रखना होगी।
8. भवन में जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय संस्था से जल कनेक्शन प्राप्त करना होगी।
9. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना आवश्यक होगी तथा सक्षम अधिकारी, अग्निशमन से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. भवन में एस.टी.पी./रिसाईकलिंग प्लांट लगाना अनिवार्य होगा।
11. बेसमेंट में एन.बी.सी. तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 73 एवं 76 का पूर्णतः पालन करना होगा।
12. भवन में अग्नि प्राथमिक मटेरियल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
13. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 31, 32 एवं 52 का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के संबंध में म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 65 से 89 (यथा लागू) के साथ-साथ सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. भवन के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

27. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने या उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या इस अनुज्ञा शर्तों के उलंघन की दशा में यह अनुज्ञा स्वतः प्रभावशून्य होकर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिक्डोक) कर दी जावेगी।

संलग्न- मानचित्र।


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
(इन्दौर (म.प्र.))
इन्दौर, दिनांक

क्र. /
प्रतिलिपि:- /INDLP-6601/नग्रानि/2022

1. आवेदक ज्ञानशीला डेव्हलपर्स लिमि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रथम पिता श्री अतुल, 2. विद्युत पिता श्री ज्ञानचंद मित्तल, 3. श्रीमती सुशीलारानी पति श्री ज्ञानचंद मित्तल, 4. कुलभूषण पिता श्री ज्ञानचंद मित्तल, 5. श्रीमती मनीषा पति श्री अतुल गर्ग, 6. रितु पिता श्री अतुल गर्ग, पता- 6, ज्ञान पार्क, टेलिफोन नगर, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील व जिला इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद/विवाद कलेक्टर कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें। संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. तहसीलदार, तहसील व जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल बोर्ड इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित। संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. उप-पंजीयक, जिला पंजीयन कार्यालय, तहसील व जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न- मानचित्र।


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
(इन्दौर (म.प्र.))

